रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

विषय : कोरिया गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलिस्टर के फुली ड्रान यार्न के आयात पर लागू पाटन-रोधी शुल्क के संबंध में एच. के. कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य द्वारा ली गई कीमत वचनबद्धता का उल्लंघन ।

फा. सं. 14/3/2005-डीजीएडी.—यतः, वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अन्य देशों के साथ-साथ कोरिया गण. से पॉलिस्टर के फुली ड्रॉन यार्न के कथित पाटन तथा भारत में घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की जाँच की थी और दिनांक 3 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. 14/3/2005 के जरिए अपने प्रांरभिक जांच परिणामों को अधिसूचित किया था । प्राधिकारी ने दिनांक 24 जनवरी, 2007 की अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 14/3/005-डीजीएडी, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 के जरिए अपने अंतिम जाँच परिणाम जारी किए थे । भारत सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 2007 की अपनी अधिसूचना संख्या 15/2007 के जरिए कोरिया गण. सहित उक्त अधिसूचना में नामित देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

और यतः, कोरिया गणराज्य के एक निर्यातक अर्थात मै. एच. के. कॉर्पोरेशन ने उक्त नियमावली के नियम 15 के अनुसार कीमत वचनबद्धता की पेशकश की थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त कीमत वचनबद्धता को स्वीकार किया था और स्वैच्छिक कीमत वचनबद्धता को स्वीकार किए जाने पर उक्त निर्यातक के विरूद्ध जांच स्थगित कर दी थी । दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 की उक्त अधिसूचना में कीमत वचनबद्धता की स्वीकार्यता को सूचित किया गया था । उक्त वचनबद्धता की शर्तों के अनुसार निर्यातक वचनबद्ध कीमत से अधिक कीमत पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने के लिए सहमत हुआ था ताकि पाटित आयातों का क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो सके । उक्त वचनबद्धता के अनुसार निर्यातक ने वचनबद्धता के अनुपालन को दर्शाने के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान करने की वचनबद्धता की थी ।

प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों के अनुबंध I में निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्यातक पर जांच परिणाम के साथ संलग्न वचनबद्धता की शर्तों के अनुसार वचनबद्धता की निगरानी हेतु अपनी घरेलू बिक्रियों एवं निर्यात बिक्रियों की आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने का दायित्व था । निर्यातक ने ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में किए गए निर्धारण के अनुसार कोई आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

वचनबद्धता की उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा वचनबद्धता की निगरानी हेतु दिनांक 10 अक्तूबर के पत्र के जरिए निर्यातक से संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों एवं भारत को निर्यात बिक्रियों की तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करने को कहा गया था और कारण बताने को कहा गया था कि क्यों आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में असफलता को कीमत वचनबद्धता का उल्लंघन न माना जाए । निर्यातक ने उक्त पत्र का उत्तर नहीं दिया था । तत्पश्चात प्राधिकारी ने 10 जनवरी, 2008 के नोटिए के जरिए निर्यातक को अंतिम नोटिस जारी किया था और उसे 31 जनवरी, 2008 से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा लिखित में अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया था । निर्यातक को यह भी सूचित किया गया था कि यदि वे उक्त नोटिस का उत्तर देने में असफल रहे तो यह मान लिया जाएगा कि निर्यातक के पास प्रस्तुत करने को कुछ नहीं है और वचनबद्धता को रद्द करने एवं नियमानुसार शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी । निर्यातक ने फिर उक्त अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 15(6) में प्रावधान है " ..... वचनबद्धता के उल्लंघन के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र केन्द्र सरकार को वचनबद्धता के उल्लंघन की सूचना दी जाएगी और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की तारीख से अनंतिम शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाएगी । " चूँकि उक्त प्रावधान का उद्देश्य वचनबद्धता की शर्तों के उल्लंघन या उनमें किसी परिवर्तन की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही करना है, इसलिए निर्यातक के अनुरोध के अनुसार अनंतिम शुल्क के अधिरोपण के बिना जांच को स्थगित करना संभव नहीं होगा ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मै. एच. के. कार्पोरेशन, कोरिया द्वारा प्रस्तावित उक्त कीमत वचनबद्धता को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और निश्चयात्मक शुल्क, जो इस निर्यातक द्वारा किए जा रहे पाटन एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की जांच करने के लिए दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना द्वारा स्थगित जाँच को पुनः शुरू किया जाता है ।

आगे की जाँच के लंबित रहने तक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं जिसकी सिफारिश 3 जुलाई, 2006 के प्रारंभिक जांच परिणामों के जरिए की गई थी और जिसे उक्त कीमत वचनबद्धता को स्वीकार किए जाने पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 की अंतिम जाँच परिणाम संबंधी अधिसूचना के जरिए स्थगित कर दिया गया था । प्राधिकारी द्वारा अंतिम सिफारिशों के लंबित रहने तक शुल्क के लागू होने की तारीख से मै. एच. के. कॉर्पोरेशन द्वारा संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों पर 107 अम. डा. प्रति मी. टन के दर से अनंतिम रूप से शुल्क लिया जाएगा ।

इस जाँच से संबंधित हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपने अभ्यावेदन निर्धारित रूप एवं पद्धति में उसके अगोपनीय सारांश सहित इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राधिकारी द्वारा आगे की जाँच के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

Subject : Violation of Price undertaking executed by M/s. H.K. Corporation, Korea RP in respect of anti-dumping duty imposed on import of Fully Drawn Yarn of Polyester originating in or exported from Korea RP.

F.No.14/3/2005-DGAD.—Whereas,having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof, the Designated Authority investigated alleged dumping of Fully Drawn Yarns of Polyester from countries inter alia, including Korea RP and consequent injury to the domestic industry in India and notified its preliminary findings vide notification No 14/3/2005 dated 3rd July 2006. The Authority issued its final findings vide notification No. 14/3/2005-DGAD dated 26th December 2006 as amended vide notification dated 24th January 2007. The Government of India vide Notification No 15/2007 dated 20th February 2007, imposed definitive antidumping duty on the subject goods imported from the countries named in the said investigation, including Korea RP.

And whereas, one of the exporter from Korea RP, i.e. M/s H. K. Corporation offered a price undertaking in terms of Rule 15 of the said Rules and the Designated Authority accepted the said price undertaking, and suspended the investigation against the said exporter upon acceptance of voluntary price undertaking. Acceptance of the price undertaking was notified in the said notification dated 26th December 2006. As per the conditions of the said undertaking the exporter agreed to export the subject goods to India at a price higher than undertaking price so as to eliminate the injurious effects of dumped imports. In terms the said undertaking the exporter undertook to provide information which may be required to demonstrate adherence to the undertaking.

In terms of the conditions laid down in Annexure I to the final findings of the Authority the exporters was under obligation to file periodic reports of its domestic sales and exports sales for monitoring the undertaking as per the conditions of the undertaking annexed therewith. The exporter has not filed any periodic report as stipulated in the notification referred above.

In accordance with the above conditions of the undertaking the exporter was asked, vide letter dated 10th October, to file quarterly report of domestic and export sales of the subject goods to India for monitoring of the undertaking by the Authority and to show cause why the failure to file the periodic reports shall not be treated as violation of the price undertaking. The exporter did not respond to the said letter. Thereafter, the Authority issued a final notice to the exporter vide notice dated 10th January 2008 and provided an opportunity to represent its case and make its submissions in writing on or before 31st January 2008. The exporter was also intimated that if they fail to respond to the said notice it would be presumed that the exporter has nothing to represent and action as appropriate may be taken by the Authority to revoke the undertaking and impose the duty as per Rules. The exporter has again not responded to the said notice.

The Authority notes that rule 15(6) of Antidumping Rule provide ".....in case of any violation of undertaking, the DA shall, as soon as may be possible, inform the Central Government of the violation of the undertaking and recommend imposition of provisional duty from the date of such violation in accordance with the provisions of these rules". Timely action to prevent injury that may be caused to the domestic industry in the event of violation or alteration of the conditions of the price undertaking, being the essence of the above provision, it would not be possible to defer the investigation as requested by the exporter without imposition of provisional duty.

In view of the above, the above price undertaking offered by M/s H.K Corporation. Korea, is hereby revoked and the investigation, suspended vide Notification dated 26th December 2006, is hereby resumed to examine the definitive duty that may be sufficient to eliminate dumping by this exporter and consequent injury to the domestic industry.

Pending further investigation the Authority recommends imposition of provisional anti dumping duty as recommended vide preliminary findings dated 3rd July 2006, which was suspended vide final finding notification dated 26th December 2006, upon acceptance of the said price undertaking, with immediate effect. The duty shall be provisionally collected at the rate of US$ 107 per MT on all exports of the subject goods by M/s. H.K. Corporation, Korea, from the date of its imposition, pending final recommendations of the Authority.

The interested parties to this investigation may make their submissions in this respect, in the form and manner prescribed, within 30 days from the date of this notification along with non-confidential summary thereof for further examination by the Authority.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.